<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000952016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—160 ∕ 16</u> संस्थापित दिनांक—03.06.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। अभियोजन
विरुद्ध
01—उद्धा उर्फ उदय सिंह पुत्र डमरू लाल लोधी, उम्र 50 साल, निवासी तगारी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 13.01.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 289, 352 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 352 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 289 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी किरपाल लोधी ने दिनांक 06.05.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह करतार के यहां अल्टिनेटर लेने जा रहा था, जैसे ही वह उद्धा लोधी के घर के पास पहुंचा तो उद्धा ने उसे देखते ही उसके सफेद रंग के कुत्ते को उस पर छुका दिया जिससे कुत्ते ने उसके बांए पैर की पिडरी में दांतों से काट लिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 209/16 के अंतर्गत भादि की धारा 289, 352 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 289, 352 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 06.05.16 को समय 14 बजे उद्धा लोधी के घर के सामने बकालपुर रोड ग्राम तगारी थाना चंदेरी में अपने कब्जे के पालतू सफेद कुत्ते से होने वाले संकट या घोर उपहित से बचाने बाबत व्यवस्था में उपेक्षापूर्वक लोप किया जिससे कि आपके कब्जे के पालतू कुत्ते ने फरियादी किरपाल को दांतों से काटकर उपहित कारित की ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 किरपाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 किरपाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह उद्धा लोधी के घर के पास से जा रहा था तब आरोपी का कुत्ता उसके उपर भौंक रहा था और जब उसने कुत्ते को भौंकने से मना किया तब उसकी कहासुनी हो गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसका सफेद रंग का कुत्ता उस पर छोड़ दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उसके कब्जे के पालतू सफेद कुत्ते से होने वाले संकट के संबंध में लोप किया, जिससे कुत्ते ने फरियादी को दांतों से काटकर उपहित कारित की।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 289 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)